+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

TODAY'S ANALYSIS
(आज का विश्लेषण)
(11 July 2024)

Sources:

The Hindu, The Indian Express, The Economics Times & PIB

Important News:

- तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी भरण-पोषण के धर्मनिरपेक्ष उपचार की हकदार: सुप्रीम कोर्ट
- भारत ने 'उच्च सागर संधि' के अनुसमर्थन का मन बनाया
- भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य
- MCQs

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी भरण-पोषण के धर्मनिरपेक्ष उपचार की हकदार: सुप्रीम कोर्ट

मामला क्या है?

- उच्चतम न्यायालय ने 10 जुलाई को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ एक मुस्लिम व्यक्ति की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसकी पूर्व पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) के तहत भरण-पोषण मांगने की अनुमति दी गई थी।
- न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जॉर्ज मसीह की दो सदस्यीय खंडपीठ ने दोहराया कि एक मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण-पोषण मांगने की हकदार है - जो एक धर्मनिरपेक्ष कानून है - भले ही उनका तलाक धार्मिक व्यक्तिगत कानून के तहत हुआ हो।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

सीआरपीसी की धारा 125 संवैधानिक सामाजिक न्याय का एक उपाय:

- उल्लेखनीय है कि सीआरपीसी की धारा 125 "किसी भी व्यक्ति पर पर्याप्त साधन होने" पर "अपनी पत्नी" या "अपने वैध या नाजायज नाबालिग बच्चे" का भरण-पोषण करने का दायित्व डालती है, यदि वे खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं - आमतौर पर नियमित अंतराल पर मौद्रिक सहायता के माध्यम से। धारा में स्पष्टीकरण स्पष्ट करता है कि "पत्नी" शब्द में एक तलाकशुदा महिला भी शामिल है जिसने दोबारा शादी नहीं की है।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने अपनी राय में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक सामाजिक न्याय उपाय के रूप में "संविधान के पाठ, संरचना और दर्शन में अंतर्निहित है"। उन्होंने कहा कि यह धारा संविधान के अनुच्छेद 15(3) के तहत महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति के साथ "संरेखित" है, और अनुच्छेद 39(ई) के तहत राज्य पर यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि "नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण अपनी आयु या शक्ति के अनुरूप न होने वाले व्यवसायों में प्रवेश करने के लिए मजबूर न किया जाए"।

- इस फैसले में दोहराया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों के "अतिरिक्त" रूप में मौजूद है, न कि इसके "खिलाफ"।
- न्यायमूर्ति नागरत्ना ने लिखा, "...1986 के अधिनियम को लागू करते समय, संसद ने एक साथ या उसके बाद कभी भी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने से कोई रोक नहीं लगाई"।
- यह स्थिति सबसे पहले 2001 में दानियाल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक फैसले में ली गई थी।

शाह बानो का फैसला:

- 1978 में शाह बानो बेगम नाम की एक महिला ने धारा 125 के तहत अपने पति से अपने और अपने पांच बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। उसके पूर्व पति मोहम्मद अहमद खान ने तर्क दिया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें तलाक के बाद इद्दत अवधि के दौरान ही भरण-पोषण देना ज़रूरी है - सामान्य परिस्थितियों में तीन महीने जिसके दौरान वह किसी दूसरे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती।

- 1980 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा शाह बानो की याचिका स्वीकार किए जाने के बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तर्क दिया कि न्यायालय मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन एक्ट, 1937 के अनुसार मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने के लिए बाध्य है।
- पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 जैसे प्रावधान "धर्म की बाधाओं को पार करते हैं", और "चाहे पति-पत्नी हिंदू हों या मुस्लिम, ईसाई या पारसी, बुतपरस्त या बुतपरस्त, पूरी तरह अप्रासंगिक हैं"। अदालत ने यह भी माना कि तलाकशुदा पत्नी इद्दत अवधि के बाद भी धारा 125 के तहत भरण-पोषण पाने की हकदार है "अगर वह खुद का भरण-पोषण करने में असमर्थ है"।
- हालांकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने तब मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 लागू किया, जिसने शाह बानो के फैसले को प्रभावी रूप से पलट दिया। इस अधिनियम के तहत, इद्दत अवधि के बाद भरण-पोषण का भुगतान करने का दायित्व तलाकशुदा पत्नी के रिश्तेदारों या बच्चों पर और उनकी अनुपस्थिति में राज्य वक्फ बोर्ड पर लगाया गया था।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 को चुनौती:

- मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 के लागू होने के तुरंत बाद, शाह बानो के वकील, दानियाल लतीफी नफेस अहमद सिद्दीकी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 125 का उद्देश्य सभी धर्मों की महिलाओं को "निर्धनता या आवारागर्दी" से बचाना है, और यह कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, उनके समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार (अनुच्छेद 21) का उल्लंघन करता है।
- केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि व्यक्तिगत कानून भेदभाव के लिए एक वैध आधार है और समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।
- एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के लिए इद्दत अवधि से परे भरण-पोषण सुनिश्चित करते हुए कानून की संवैधानिकता को बनाए रखने के प्रयास में, पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपने फैसले में इस अधिनियम की धारा 3(ए) की रचनात्मक व्याख्या की।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- अदालत ने इसका अर्थ यह लगाया कि पति को इद्दत अवधि के भीतर "तलाकशुदा पत्नी की भविष्य की जरूरतों पर विचार करना और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से तैयारी की व्यवस्था करनी होगी"। इसके विपरीत, वास्तविक भुगतान इस अवधि तक सीमित नहीं होगा और "तलाकशुदा पत्नी के पूरे जीवन तक बढ़ाया जा सकता है जब तक कि वह दूसरी बार शादी न कर ले"।
- नतीजतन, अदालत ने माना कि एक मुस्लिम पति इद्दत अवधि से परे भी भरण-पोषण का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, और MWPRD अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा।

भारत ने 'उच्च सागर संधि' के अनुसमर्थन का मन बनाया:

चर्चा में क्यों है?

- भारत सरकार ने 8 जुलाई को कहा कि वह जल्द ही उच्च समुद्र संधि पर हस्ताक्षर करेगी और इसकी पुष्टि करेगी, जो महासागरों के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संरचना है। पिछले साल वार्ता की गई यह संधि महासागरीय जल में प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है।

- उच्च समुद्र किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र हैं, जिसके कारण इस संधि को "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)" के रूप में भी जाना जाता है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उच्च समुद्र क्या होता है?

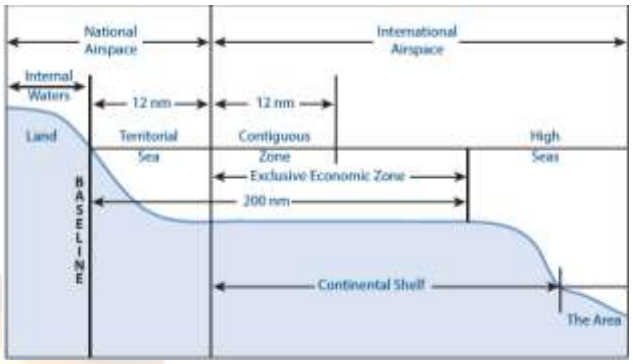

- उच्च समुद्र - किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे पाए जाने वाले विशाल खुले महासागर और गहरे समुद्र तल के क्षेत्र - पृथ्वी की सतह के लगभग आधे हिस्से और वैश्विक महासागर क्षेत्र के 64% हिस्से को कवर करते हैं। वे महान जैव विविधता रखते हैं लेकिन पृथ्वी पर सबसे कम संरक्षित क्षेत्र भी बने हुए हैं।
- उच्च समुद्र अद्वितीय और अल्पज्ञात प्रजातियों की एक श्रृंखला का घर है, जिसमें गहरे में रहने वाली मछलियां और अकशेरुकी शामिल हैं। यह कई प्रवासी प्रजातियों, जैसे व्हेल, समुद्री पक्षी, समुद्री कछुए, टूना और शार्क के लिए महत्वपूर्ण आवास भी प्रदान करते हैं, जो भोजन और साथी की तलाश में महासागरीय घाटियों को पार करते हैं।

'उच्च सागर संधि' एक ऐतिहासिक समझौता क्यों है?

- इस 'उच्च सागर संधि' की तुलना अक्सर जलवायु परिवर्तन पर 2015 के पेरिस समझौते से की जाती है, जो इसके महत्व और संभावित प्रभाव के मामले में है।

- यह संधि केवल उन महासागरों से संबंधित है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। लेकिन चूँकि उच्च सागर किसी के नहीं हैं, इसलिए ये किसी की ज़िम्मेदारी भी नहीं है। नतीजतन, इनमें से कई क्षेत्र संसाधनों के अत्यधिक दोहन, जैव विविधता की हानि, और कई अन्य समस्याओं से ग्रस्त हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) का पूरक:**
  - ऐसा नहीं है कि महासागरों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय शासन तंत्र नहीं है। 1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन, या UNCLOS, एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानून है जो हर जगह समुद्र और महासागरों पर वैध व्यवहार और उनके उपयोग के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करता है।
  - यह समुद्री संसाधनों की समान पहुँच और उपयोग, और जैव विविधता और समुद्री पारिस्थितिकी के संरक्षण और संरक्षण के लिए सामान्य सिद्धांत भी निर्धारित करता है।
  - लेकिन UNCLOS निर्दिष्ट नहीं करता है कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जाना है। यहीं पर उच्च सागर संधि की भूमिका आती है।
  - एक बार जब यह लागू हो जाएगी, तो यह संधि UNCLOS के तहत कार्यान्वयन समझौतों में से एक के रूप में काम करेगी।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

उच्च सागर संधि का उद्देश्य:

- उच्च सागर संधि तीन मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है: समुद्री पारिस्थितिकी का संरक्षण और सुरक्षा; समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभों का उचित और न्यायसंगत बंटवारा; और किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की प्रथा की स्थापना जो संभावित रूप से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषित या नुकसान पहुँचाती है।
- एक चौथा उद्देश्य भी है, विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों का हस्तांतरण और क्षमता निर्माण। इससे उन्हें महासागरों के लाभों का पूरा उपयोग करने में मदद मिलेगी और साथ ही उनके संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।

उच्च सागर का संरक्षण और उस तक समान पहुँच:

- समुद्री पारिस्थितिकी का सुरक्षा और संरक्षण राष्ट्रीय उद्यानों या वन्यजीव अभयारण्यों की तरह समुद्री संरक्षित क्षेत्रों (MPA) के सीमांकन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। इन MPA में गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा और संरक्षण के प्रयास भी किए जाएंगे।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

- उल्लेखनीय है कि महासागर बहुत बड़ी संख्या में विविध जीवन रूपों का घर हैं, जिनमें से कई मानव के लिए बहुत मूल्यवान हो सकते हैं।
- यह उच्च समुद्र संधि यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इन समुद्री जीवों के संसाधनों से होने वाले लाभ, चाहे वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हों या व्यावसायिक दोहन के माध्यम से, सभी के बीच समान रूप से साझा किए जाएँ और इन पर किसी भी देश का मालिकाना अधिकार नहीं हो सकता है।
- यह संधि किसी भी ऐसी गतिविधि के लिए पहले से पर्यावरणीय प्रभाव आकलन करना अनिवार्य बनाती है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या संरक्षण प्रयासों को संभावित रूप से प्रदूषित या नुकसान पहुँचाती है।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

भारत-ऑस्ट्रिया साझेदारी बढ़ाने पर संयुक्त वक्तव्य:

परिचय:

- ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9-10 जुलाई 2024 तक ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 41 वर्षों के बाद यह पहली यात्रा थी। इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है।
- प्रधानमंत्री और चांसलर ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र, स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साझा मूल्य और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के साथ नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दोनों देशों के बीच बढ़ती हुई साझेदारी के केंद्र में हैं। उन्होंने भविष्योन्मुख द्विपक्षीय टिकाऊ आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर भी जोर दिया।

भारत-ऑस्ट्रिया के मध्य राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग:

- दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रिया जैसे लोकतांत्रिक देशों के अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और समृद्धि में योगदान देने के लिए मिलकर काम करने के महत्व को रेखांकित किया।

- दोनों नेताओं ने UNCLOS में परिलक्षित समुद्र के अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक स्वतंत्र, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया।
- यूक्रेन में युद्ध के संबंध में, दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप यूक्रेन में एक व्यापक और स्थायी शांति प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने और संघर्ष में दोनों पक्षों के बीच एक ईमानदार और गंभीर जुड़ाव की आवश्यकता है।
- दोनों नेताओं ने सीमा पार और साइबर आतंकवाद सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद की अपनी स्पष्ट निंदा दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि किसी भी देश को उन लोगों को सुरक्षित पनाहगाह नहीं देनी चाहिए जो आतंकवादी कृत्यों को वित्तपोषित, योजना, समर्थन या प्रतिबद्ध करते हैं।
- दोनों नेताओं ने सितंबर 2023 में दिल्ली में जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत-मध्य पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (IMEC) के शुभारंभ को याद किया क्योंकि यह परियोजना बहुत रणनीतिक महत्व की होगी और भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच वाणिज्य और ऊर्जा की क्षमता और प्रवाह को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगी।

- दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और यूरोपीय संघ के पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत मुक्त बाजार है, और कहा कि गहरे यूरोपीय संघ-भारत संबंध पारस्परिक रूप से लाभकारी होने के साथ-साथ सकारात्मक वैश्विक प्रभाव भी डालेंगे। दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ को करीब लाने के लिए विभिन्न पहलों का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों देशों के मध्य सतत आर्थिक भागीदारी का प्रयास:

- दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और प्रौद्योगिकी भागीदारी को रणनीतिक उद्देश्य के रूप में पहचाना।
- दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय भागीदारी को आगे बढ़ाने में अनुसंधान, वैज्ञानिक गठजोड़, प्रौद्योगिकी भागीदारी और नवाचार के महत्वपूर्ण महत्व को पहचाना और आपसी हित में ऐसे सभी अवसरों का पता लगाने का आह्वान किया।
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के पक्षकार होने के नाते, दोनों नेताओं ने 2050 तक जलवायु तटस्थता के लिए यूरोपीय संघ स्तर पर अपनाए गए बाध्यकारी लक्ष्यों, 2040 तक जलवायु तटस्थता प्राप्त करने के लिए ऑस्ट्रियाई सरकार की प्रतिबद्धता और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को याद किया।

- उन्होंने ऊर्जा संक्रमण चुनौतियों का समाधान करने के लिए ऑस्ट्रियाई सरकार की 'हाइड्रोजन रणनीति' और भारत द्वारा शुरू किए गए 'राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन' के संदर्भ में जुड़ाव की गुंजाइश पर ध्यान दिया और नवीकरणीय/हरित हाइड्रोजन में दोनों देशों की कंपनियों और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के बीच व्यापक साझेदारी का समर्थन किया।
- उन्होंने टिकाऊ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सहित औद्योगिक प्रक्रियाओं (उद्योग 4.0) में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की बढ़ती भूमिका को भी मान्यता दी।

दोनों देशों द्वारा बहुपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बल:

- दोनों नेताओं ने बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वे बहुपक्षीय मंचों पर नियमित द्विपक्षीय परामर्श और समन्वय के माध्यम से इन मौलिक सिद्धांतों की रक्षा और संवर्धन के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए।
- उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सुधारों को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने 2027-28 की अवधि के लिए ऑस्ट्रिया की यूएनएससी उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन दोहराया, जबकि ऑस्ट्रिया ने 2028-29 की अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

+918988885050
+918988886060
www.vajiraoinstitute.com
info@vajiraoinstitute.com

MCQs:

1. चर्चा में रहे 'दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के धारा 125' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

   1. यह किसी भी व्यक्ति पर पर्याप्त साधन होने पर अपनी पत्नी या अपने वैध या नाजायज नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने का दायित्व डालती है।
   2. यह धारा संविधान के अनुच्छेद 15(3) और अनुच्छेद 39(ई) के अनुकूल है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का कार्य करती है।

   उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

   (a) केवल 1

   (b) केवल 2

   (c) 1 और 2 दोनों

   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

   Ans. (c)

2. चर्चा में रहे 'संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS)' एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय कानून है जो हर जगह समुद्र और महासागरों पर वैध व्यवहार और उनके उपयोग के लिए व्यापक रूपरेखा तैयार करता है। इस अंतरराष्ट्रीय कानून को कब अपनाया गया है?

(a) 1973 में

(b) 1982 में

(c) 1992 में

(d) 2011 में

Ans. (b)

3. हाल ही में चर्चा में रहे "राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता पर समझौता (BBNJ)" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह संधि महासागरीय जल में प्रदूषण को कम करने और जैव विविधता और अन्य समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए है।
2. यह संधि सभी महासागरों, किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर भी, से संबंधित है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans: (a)

4. हाल ही में चर्चा में रहे उच्च समुद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) ये किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे पाए जाने वाले विशाल खुले महासागर और गहरे समुद्र तल के क्षेत्र हैं।

(b) ये वैश्विक महासागर क्षेत्र के 64% हिस्से को कवर करते हैं।

(c) ये महान जैव विविधता रखने के बावजूद भी पृथ्वी पर सबसे कम संरक्षित क्षेत्र भी बने हुए हैं।

(d) उपर्युक्त सभी कथन सही हैं।

Ans. (d)

5. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह यात्रा महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इस वर्ष दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों का 75वां वर्ष है।
2. इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्योन्मुख द्विपक्षीय टिकाऊ आर्थिक और प्रौद्योगिकी साझेदारी पर भी जोर दिया है।

उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं।

Ans. (c)